कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण), म. प्र. भोपाल

क्र./ 5772 भोपाल, दिनांक 7/2/02

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक म.प्र.
2. समस्त वनमंडलाधिकारी , म.प्र.

विषय :– क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए स्थल विशिष्ट प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक क्र./3026 दिनांक 22/12/2001।

उपरोक्त संदर्भ द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7/12/2001 एवं भारत सरकार के पत्र क्र./8–80/99/एफ.सी.डब्ल्यू. दिनांक 7/11/2001 की प्रतियां प्रेषित की गई थी भारत सरकार द्वारा प्रेषित उक्त पत्र इस संदर्भ में प्रेषित पत्र क्र./एफ.ए. 11/30/96 /एफ.सी. दिनांक 10/12/2001 की छायाप्रतियां इस ज्ञाप के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसका अध्ययन कर पालन कृपया सुनिश्चित करें।

02. कंडिका एक में उल्लेखित पत्रों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन मंडल कार्यालय में तैयार किये जाएगे जो कि स्थल विशिष्ट होंगे तथा उसमें स्थानीय आवश्यकतानुसार साथ वर्ष की अवधि हेतु समस्त व्ययों का आंकलन कर समावेश किया जावेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ही आवेदक संस्थान से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि की मांग की जावेगी तथा एक बार राशि प्राप्त हो जाने के उपरांत पुनः राशि की मांग नहीं की जाएगी । शासन के परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। इसका आशय यह है कि प्रशासकीय अनुमोदन वन संरक्षक द्वारा तथा तकनीकी अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों की सीमा में प्रदान किया जायेगा तथा इसके लिखित में आदेश जारी किये जायेंगे।

2. म.प्र. शासन के परिपत्र दिनांक 7/12/2001 में यह भी उल्लेख है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रारूप का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे.) द्वारा किया जावेगा अतः इसके पालन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी परिवर्तन इस कार्यालय के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायें।

संलग्न : (1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(2) म.प्र.शासन का पत्र दिनांक 7/12/2001 तथा इसके साथ सलग्न दिशा निर्देश।

(3) भारत सरकार का पत्र दिनांक 7/11/2001 ।

(4) भारत सरकार का पत्र दिनांक 10/12/2001 ।

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण)
म.प्र. भोपाल

पृ.क्र. 573 भोपाल, दिनांक 7/2/02

प्रतिलिपि : समस्त नक्शा प्रभारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) भोपाल को अग्रेषित कृपया भविष्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित कर लेवे की संलग्न की जा रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार योजना बनायी गई है या नहीं

संलग्न : (1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(2) म.प्र.शासन का पत्र दिनांक 7/12/2001 तथा इसके साथ सलग्न दिशा निर्देश।

(3) भारत सरकार का पत्र दिनांक 7/11/2001 ।

(4) भारत सरकार का पत्र दिनांक 10/12/2001 ।

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण)
म.प्र. भोपाल

-:वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश:-

वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शी निर्देश राज्य शासन के पत्र कमांक डी/5203/3827/2001/10/3 दिनांक 7-12-2001 द्वारा जारी किए जा चुके है। उक्त निर्देश में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) द्वारा तैयार किया जाना था जो कि संलग्न है। उक्त प्रारूप अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किए जाते है:-

1. परियोजना के विवरण भाग में केवल सामान्य जानकारी है जो कि स्वतः स्पष्ट है ।
2. स्थल विशेष जानकारी में चयनित स्थल में यदि पूर्व, में कोई वृक्षारोपण कियागया है तो उसकी असफलता का मुख्य कारण अंकित किया जावे एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि वह अपलेखित किया गया हो तो उसका आदेश कमांक डाले । यदि अपलेखित नही किया गया हो तो तदनुसार उल्लेख किया जावें ।
3. क्षेत्र की भौगोलिक रचना में जो जानकारी भरी जाना है वह मुख्यतः कार्यआयोजना से ली जावे शेष जानकारी वन मंडल अधिकारी,स्थल निरीक्षण कर अंकित करें ।
4. वन क्षेत्र के विवरण में वनोपज का संक्षिप्त विवरण दर्शाया जाना है वह सेंपल के आधार पर परिगणित किया जावे एवं तदनुसार जानकारी अंकित की जावें । सेंपल सर्वे की जानकारी अलग रजिस्टर में रखी जावें । प्रोजेक्ट में समस्त प्रजातियों की एकजाई जानकारी अंकित की जावे ।
5 प्रति हे. पौधो की संख्या परिगणित करते हुए सी.बी.ओ.से प्राप्त पौधे, 20 से.मी. से अधिक गोलाई के पौधे ,20 से.मी. से कम गोलाई के पौधे एवं स्थापित पौधे एवं रोपित पौधो की कुल संख्या न्यूनतम 1600 प्रति हेक्टेयर होना चाहिए
6. योजना की अवधि 07 वर्ष है परन्तु यदि किन्ही परिस्थितियों के कारण इससे अधिक योजना की अवधि की आवश्यकता हो तो तदनुसार कारणों का उल्लेख किया जावे । ।
7. राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों में स्थल चयन का कार्य वन मंडलाधिकारी द्वारा ही किया जावेगा अतः प्रारूप योजना के भाग-2 में उल्लेखित प्रमाण पत्र वन मंडल अधिकारी द्वारा ही दिया जावेगा ।
8. योजना की तकनीक स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जावेगी ।
9. चयनित क्षेत्र का स्टाक मेप एवं उपचार मानचित्र 1:15000 के स्केल पर तैयार किया जाकर योजना के साथ संलग्न किया जावेगा ।
10. बिगड़े बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य प्रथम वर्ष में ही किया जावेगा तथा यदि किसी क्षेत्र में बांस के पौधे रोपित किए जाते है तो सातवें वर्ष में ऐसे रोपित बांस के पौधों पर मिट्टी चढ़ाई एवं भिर्रा सफाई का कार्य किया जावेगा ।
11. तैयार किए गए प्रोजेक्ट का गोशवारा प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जावेगा ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)की बिना अनुमति के नही किया जावेगा ।
13. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आस्थामूलक कार्य हेतु प्रति हे0 परिगणित राशि का 12 प्रतिशत प्रावधान किया जावे
14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास हेतु प्रति हे0 परिगणित राशि का 3 प्रतिशत प्रावधानित किया जावे।
15 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार राशि प्रावधानित की जावे ।

मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)
मध्यप्र भोपाल.

मध्य प्रदेश – शासन

वन विभाग

परियोजना का नाम –

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष –

क्षेत्रफल –

वनमण्डल –

प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र० सं०	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		षष्ठ वर्ष		सप्तम वर्ष		योग	
विवरण	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
योग																

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करने का प्रारूप

भाग–1 सामान्य विवरण

1.	परियोजना का विवरण	:	
(अ)	परियोजना का नाम	:	
(ब)	भारत सरकार का अनुमोदन	क्र.	दिनांक
(स)	प्रस्तावित वन भूमि का विवरण	:	
2.	जिला	:	
3.	वनमण्डल	:	
4.	परिक्षेत्र	:	
5.	तहसील	:	
6.	विकास खण्ड	:	
7.	विधान सभा क्षेत्र	:	
8.	ग्राम पंचायत	:	
9.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	
10	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:	

2/ <u>स्थल विशेष जानकारी</u>

1.	ग्राम वन समिति	:	
2.	वन खंड एवं कक्ष क्रमांक	.	
3.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हैक्टे.)	:	
4.	कार्य वृत्त	:	
5.	उपचार श्रेणी/ पातन श्रेणी	:	
6.	उपचार इकाई/ कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	:	
7.	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:	
8.	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:	
		वर्ष	योजना क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति

२. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना

बी. वर्ष

सी. क्षेत्रफल

डी. प्रजाति अनु. प्रजाति पौधे संख्या

ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण :

एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :

10. गठित समिति का प्रकार : ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति

11. समिति का मुख्यालय :

12. समिति में सम्मिलित गांव :

13. समिति के अध्यक्ष का नाम

14. परिसर रक्षक / वन रक्षक का नाम :

15. परिक्षेत्र सहायक का नाम :

16. समिति के सदस्यों की जानकारी .

	लघु कृषक			सीमान्त कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी															
हरिजन															
पिछड़ा वर्ग															
सामान्य															
योग															

3/ <u>उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)</u>

(ए) टोपोग्राफी Topography :

(बी) एस्पेक्ट Aspect : :

(सी) ढलान Slope :

(अ) पानी निकासी :

(ब) भूक्षरण :

(डी) चट्टानों का विवरण :

(ई) मिट्टी का प्रकार :

(एफ) औसत वार्षिक वर्षा :

(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हैक्ट.) :

(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हैक्ट.) :

(आई) पथरीली मिट्टी :

4/ वन क्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधा	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष

(बी) साईट क्वालिटि घनत्व

(सी) पूर्ण वन वर्धन (Root stock development) का क्षेत्र :

ठूंठ एवं गोलाई की गणना।

	गोलाई						
प्रजाति	20 सेमी तक की आड़ी टेड़ी पौधा	21 से 30 सेमी	31 से 45 सेमी	46 से 60 सेमी	61 से 90 सेमी	91 से 120 सेमी	120 सेमी से ऊपर
योग							

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र :

(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लौटाना) :

(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(आई) विकृत बांस का क्षेत्र :

(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं :

(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) :

(एल) जैविक दवाव

प्रकार	जैविक दवाव		
	अत्याधिक	औसत	नगणय
वन्य प्राणी			
चराई			
मानव			

5/ 1. योजना का उद्देश्य –

2. क्षेत्रफल –

6/ उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

कट बैक का क्षत्र	हे.
वृक्षारोपण का क्षत्र	हे.
भूसंरक्षण कार्य का क्षत्र	हे.
लेन्टाना	हे.

7/ रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे

8/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

(ए) ट्रक / ट्रेक्टर द्वारा

(बी) सिर बोझ द्वारा

9/ सिंचाई का विवरण

ए. जल स्त्रोत : नदी/ नाला / ट्यूब वेल/ कुंआ/ तालाब/ अन्य

बी. वृक्षारोपण से दूरी

सी. सिंचाई प्रकार : ड्रिप/ सतही/ स्प्रिकलर/ अन्य

डी. बिजली उपलब्धता .

10/ प्रति हेक्टर पौधों की संख्या

(i) प्रति हैक्टेयर सी.बी. ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :

(बी) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षो की संख्या (20 सेमी. से अधिक) :

(सी) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 सेमी. गोलाई से कम) :

(डी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :

(न्यूनतम 1600 पौध प्रति हैक्टेयर) कुल

11/ योजना की अवधि

12/ 1. योजना पर होने वाला संगावित व्यय :

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मान चित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय :

13/ अन्य विवरण

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपलेखानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य / वृक्षारोपण के योग्य है।

10/ प्रति हेक्टर पौधों की संख्या

(ए) प्रति हैक्टेयर सी.बी. ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :

(बी) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षो की संख्या (20 सेमी. से अधिक) :

(सी) क्षेत्र में रोपित एवं स्थापित पौधा (20 सेमी. गोलाई से कम) :

(डी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :

(न्यूनतम 1600 पौधे प्रति हैक्टेयर) कुल

11/ योजना की अवधि

12/ 1. योजना पर होने वाला संगावित व्यय

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मान चित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय

13/ अन्य विवरण

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डल अधिकारी

निरीक्षण दिनांक

अनुमोदित

तकनीकि स्वीकृति आदेश क्र. दिनांक द्वारा जारी की गयी।

वन संरक्षक

स्टोक मेप (1:15000 स्केल)

उपचार मानचित्र (1:15000 स्केल)

भाग 3 व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

वित्तीय वर्ष प्रथम वर्ष भूमि तैयारी

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हैक्ट.) ब क्षतिग्रस्त मुनारों की मरम्मत				
2	प्लांटेशन साइट का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.				
3.	क्षेत्र सफाई (हैक्ट.)				
4.	घेराव (लम्बाई मी.में) (ए) एक वर्ष पूर्व सी.पी.टी./ सी.पी. डब्ल्यू. का सुधार (बी) पुराने वर्षो का सी.पी.टी./ सी.पी डब्ल्यू. का सुधार (सी) नई सी.पी.टी. का निर्माण (डी) नई सी.पी.डब्ल्यू. का निर्माण				
	योग				
5.	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन सह निरीक्षण पथ निर्माण				
6.	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट 2X2 मीटर 3X2 मीटर 4X4 मीटर				

अनु	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
7	वन वर्धन कार्य (सेम्पल प्लाट के अनुसार) (ए) जड़ भण्डार विकास कार्य हेतु 20 सेमी. से कम जीवित ठूठों, विकृत वृक्षों की कटाई एवं सिंगलिंग कार्य (बी) जड भण्डार कार्य हेतु 20 सेमी. से ऊपर ठूठो की कटाई / ठूठ ड्रेसिंग (अ) 21– 30 (ब) 31–45 (स) 46–60 (द) 61–90 (ई) 91–120				
8.	1. बिगड़े बांस के भिर्रे (अ) सफाई संख्या (ब) मिट्टी चढ़ाई				
9.	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या (ए) 30X30X.30 सेमी. (बी) 45X45X 45 सेमी. (सी) गड्ढों में मिट्टी बदलना				
10.	रोपणी व्यय संख्या				
11.	अभियांत्रिकीय कार्य भू एवं जल संरक्षण कार्य (ए) चेक डैम संख्या घ.मी (बी) कन्टूर ट्रेन्च (संख्या). (सी) कन्टूर बंडिंग (लम्बाई)				
12.	हट निर्माण				

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
13	ग्राम वन समिति का निर्माण एवं संगठन				
14	आश्रय मूलक कार्य)जे.एफ.एम. आदि)				
15	सामाजिक विकास कार्य				
16	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण				
17	अन्य व्यय				
	योग				
	मजदूरी की दर				
	कुल राशि				
	प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष द्वितीय वर्ष रोपण वर्ष

अनु	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	रोपणी कार्य (अ) प्रथम रोपण हेतु पौधे (ब) मृत पौधों को बदलने हेतु पौधे				
2.	सिंचाई व्यवस्था ए. पम्प आदि (एल.एस.) बी. पाईप (लम्बाई मीटर) सी. सतही सिंचाई व्यवस्था (नाली का निर्माण / हैक्टे.) डी. ड्रिप सिंचाई व्यवस्था (हैक्ट.) ई. स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था (हैक्ट.) एफ. अन्य सिंचाई व्यवस्था				
3.	पौधों का परिवहन (संख्या) (ए) ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा (बी) सिर बोझा द्वारा 1 कि.मी.				
4.	वृक्षारोपण (हैक्ट. / संख्या) सी.पी.टी. पर वृक्षों एवं कलमों का रोपण / खाली जगहों में बीज बोना 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
5.	प्रथम निंदाई पौधे संख्या कंटूर ट्रेंच				
	द्वितीय निंदाई पौधे संख्या कंटूर ट्रेंच				

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन रक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	टिप्पणी
7	तृतीय निदाई पौध संख्या कंटूर ट्रेंच				
8	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग (कि./संख्या)				
9	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकमुश्त)				
10	सिंचाई व्यय सतही (हेक्ट.) अन्य सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत रखरखाव				
11	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकमुश्त)				
12	सुरक्षा				
13	अन्य व्यय (एकमुश्त) योग मानव दिवस मजदूरी की दर कुल राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष तृतीय वर्ष रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1	रोपणी व्यय (20 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)				
2.	पुर्नरोपण हेतु पौधो का रोपण स्थल तक परिवहन (संख्या)				
3.	पराव मरम्मत कार्य (मीटर) सी.पी.टी. / सी.पी.डब्ल्यू. तार फेंसिंग				
4.	प्रथम निंदाई (हेक्ट. / संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कन्टूर ट्रेंच				
5.	द्वितीय निंदाई (हेक्ट. / संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
6.	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग (50प्रतिशत) (हेक्ट. / संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)				

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
८	सिंचाई व्यय (ए) सतही (हेक्ट.) (बी) ड्रिप (हेक्ट.) (सी) स्प्रिंकलर (हेक्ट.) (डी) अन्य (हेक्ट.) (ई) सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव				
९.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
10	(ए) विकसित जड़ भंडार का एकलीकरण (हे.) (बी) सी.पी.ओ. से प्राप्त पौध की सिंगलिंग तीन सीध पीके छोड़े जाएगें				
11.	सुरक्षा ग्राम वन समिति द्वारा				
12	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष चतुर्थ वर्ष रोपण के पश्चात द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)				
2.	पुर्नरोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन (संख्या)				
3.	निंदाई (हेक्ट. / संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
4.	सिंचाई व्यय ए. सतही (हेक्ट.) बी ड्रिप (हेक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.) डी अन्य (हेक्ट.) इ. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव (एकजाई)				
5.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
6.	सुरक्षा ग्राम वन समिति द्वारा				
7.	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष   पंचम वर्ष   रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रख–रखाव

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1	सिंचाई व्यय ए. सतही (हेक्ट.) बी. ड्रिप (हेक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.) डी. अन्य (हेक्ट.) ई. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव				
2	सिंगलिंग कार्य मिश्रित प्रजातियों के 2 सीधे पौधे छोड़े जाएगें सागौन आदि का 1 सीधा पौधा छोड़ा जाएगा				
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
4	सुरक्षा ग्राम वन समिति द्वारा				
5.	निंदाई (हेक्ट./ संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
5	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष षष्टम वर्ष रोपण के पश्चात् चौथे वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	सिंचाई व्यय ए. सतही (हैक्ट.) बी ड्रिप (हैक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हैक्ट.) डी अन्य (हैक्ट.) ई. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/रखरखाव (हैक्ट.)				
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
3.	सुरक्षा				
4.	अन्य व्यय (एकजाई)				
	योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हैक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष सप्तम वर्ष रोपण के पश्चात पांचवे वर्ष का रख–रखाव

अनु	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	सिंचाई व्यय ए. सतही (हेक्ट.) बी ड्रिप (हेक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.) डी अन्य (हेक्ट.) ई. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव				
2	थांवला गिर्री की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई				
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
4.	सुरक्षा				
5.	घेराव का सुधार (लम्बाई मी. में) सी.पी.टी. तार फेंसिंग				
6.	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

भाग–4 : प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

अनु.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि	प्रति हेक्ट. व्यय
1		भूमि तैयारी				
2.		रोपण				
		रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव				
4.		रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव				
5.		रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव				
6.		रोपण के पश्चात् चौथे वर्ष का रखरखाव				
7.		रोपण के पश्चात् पाँचवे वर्ष का रखरखाव				
		योग				

सहायक शिकारी

उप वनमंडलाधिकारी

वनमंडलाधिकारी

वनसंरक्षक

F.No. 8-80/99-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated: 07.11.2001

To

The Secretary (Forests)- (All States/UTs).

Sub: Compensatory afforestation scheme- Regarding.

Sir,

A detailed compensatory afforestation scheme is central to any proposal that is submitted to Government of India for seeking diversion of forest land for non-forestry purpose under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. The comprehensive scheme includes the year-wise phased forestry operations, details of species to be planted, maps of areas to be taken up for compensatory afforestation and a suitability certificate from afforestation/management point of view alongwith the cost structure of various operations.

It has come to the notice of the Ministry that compensatory afforestation schemes are being submitted at such rates which do not seem to be rational. The compensatory afforestation schemes no doubt has to be site specific and thus per hectare rate will vary from site to site. But it has been observed that at times schemes are being submitted with a cost structure which is at variance with the State norms for the same area. In this regard, it has been decided that henceforth the compensatory afforestation schemes which are being submitted alongwith the proposals for forestry clearance, must have technical and administrative approvals from the competent authority.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

7.11.2001

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:-
1. All PCCF/Nodal Officers (All States/UTs).
2. All Regional Offices.
3. DIG(FC), Director(FC), AIGs(FC).

7.11.2001

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

F.No. 11-30/96-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated: 10.12.2001

The Secretary (Forests) (All States/UTs).

Sub: **Compensatory afforestation scheme- Regarding.**

Sir,

The Ministry's guideline regarding technical and administrative approvals of the competent authority for the compensatory afforestation schemes, which are being submitted alongwith the proposals for forestry clearance, has been circulated vide Ministry's letter No. 8-20/99-FC dated 7.11.2001.

In continuation of the above-mentioned letter it is to further clarify that whatever infrastructural facility is required by the State Government should form part of the compensatory afforestation scheme and can be included as supervision/monitoring charges on rational basis. No additional funds beyond the approved compensatory afforestation scheme should be sought from the user agency.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:-
1. All PCCF/Nodal Officers (All States/UTs).
2. All Regional Offices.
   DIG(FC), Director(FC), AIGs(FC).

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests